स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 377, दिनांक 23–12–2024

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 02.10 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 23–12–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को 02.10 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. मनोज कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 ओमकार नाथ मिश्रा निवासी चन्द्रावा, थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच।
2. असलम पुत्र मुबारक निवासी ग्राम देवचरा तहसील ऑवला, थाना भमौरा, जनपद बरेली।

बरामदगी :–

1– 02.10 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रूपये)।

2– 01 अदद महिन्द्रा पिकप वाहन सं0 यू0पी0–46–टी–1797

3– 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

नरैनी बॉदा नरैनी रोड नवाबगंज टैंक तिराहा कस्बा बॉदा, थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, जनपद बॉदा। दिनांक 23–12–2024 समय 06.15 बजे प्रातः।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 23–12–2024 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद बॉदा में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्‌देश्य से भ्रमणशील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थों की व्यापक स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य उड़ीसा से पिकप वाहन नं0 यू0पी0–46–टी–1797 में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लोड करके बॉदा होते हुए बरेली जाने वाले हैं। इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी संतोष

कुमार, अमित कुमार शर्मा, चन्दन भारती, आरक्षी किशन, आरक्षी चालक मनोज कुमार यादव की टीम द्वारा नरैनी बॉदा नरैनी रोड नवाबगंज टैंक तिराहा कस्बा बॉदा थाना क्षेत्र कोतवाली नगर जनपद बॉदा के पास उक्त पिकप को रोककर तलाशी ली गयी तो पिकप के केबिन के पीछे कैविटी में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) छिपाकर रखा हुआ पाया गया, जिस पर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका अवैध मादक पदार्थ तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये उमरकोट (उड़ीसा) राज्य से गॉजा लाकर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में ऊँचें दामों में बेचता है। पूछताछ पर यह भी बताया कि उड़ीसा से गॉजा खरीदने और पहुँचाने का कार्य कई वर्षो से इनके द्वारा किया जा रहा है। उड़ीसा से अवैध गॉजा उसके सहयोगी हरीश कुमार गुप्ता उर्फ मोनू व युसुफ अन्सारी द्वारा पिकप में बनी विशेश कैविटी में लदवाया गया था, जिसे प्रयागराज व बरेली पहुॅचाना था। इनके द्वारा माल को सुरक्षित स्थान में पहुॅचाने पर 15–15 हजार रूपये ईनाम के रूप में अलग से दिये जाते हैं तथा इस काम में जो भी मुनाफा होता है वह आपस में बॉट लेते हैं। इसके पूर्व भी इनके द्वारा कई बार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध गॉजा सप्लाई किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर, जनपद बॉदा में मु0अ0सं0 1074/24 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।